तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 10497 / 2003 / जयपुर** **मंगलाराम बनाम रामजीलाल पुत्र काना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित–
श्री डी. डी. पारीक, अभिभाषक प्रार्थी
विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं

दिनांक : 12–06–2024

निर्णय

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा प्रकरण संख्या 509 / 1996 में पारित आदेश दिनांक 31–03–2003 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि वादीगण काना पुत्र सूज्या, गोपाल पुत्र देवा ने इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद उपखण्ड अधिकारी जयपुर (पूर्व) के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद वादी काना पुत्र सूज्या की मृत्यु दिनांक 07–12–1999 को हो जाने के पश्चात काना के कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र दिनांक 11–10–2000 को मय धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 27–11–2001 को प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र का विरोध किया एवं प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए वाद अबेट हो जाने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने आदेश दिनांक 31–03–2003 द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद मानकर 200 / –रूपए के हर्जे पर स्वीकार कर लिया। उनका तर्क है कि काना पुत्र सूज्या की मृत्यु दिनांक 07–12–1999 को हो जाने के पश्चात प्रकरण के अन्तर्गत लगभग 7–8 तारीख पेशियां तब्दील हो चुकी थी और वादी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 10497 / 2003 / जयपुर** **मंगलाराम बनाम रामजीलाल पुत्र काना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संख्या 2 गोपाल पुत्र देवा को दिनांक 07–12–1999 को ही काना की मृत्यु होने की जानकारी हो चुकी थी और वह प्रत्येक तारीख पेशी पर अपने अभिभाषक के साथ उपस्थित होता रहा है। इसके बावजूद वादी द्वारा 10माह पश्चात कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश किया तथा विलम्ब के संबंध में जो कारण दर्शाये वे संतोषप्रद नहीं थे किन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर न कर वादी के प्रार्थना पत्र को समयावधि में शुमार करते हुए काना के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर स्थापित किये जाने के जो आदेश दिया है, वह न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–03–2003 को निरस्त करते हुए वाद को अबेट किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 31–03–2003 द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद मानते हुए उसे स्वीकार किये जाने का आदेश दिया है। न्याय का यह मूलभूत सिद्धांत है कि न्यायालय को तकनीकी आधार पर प्रकरण को निरस्त नहीं कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए तथा न्याय हेतुक की अभिवृद्धि के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए एवं उपशमन अपास्त कर वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाना न्यायसंगत है। वाद के उपशमन होने की परिस्थिति में न्यायालय द्वारा अत्यधिक तकनीकी रूख नहीं अपनाकर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए उपशमन को अपास्त कर विधिक वारिसानों को रेकार्ड पर लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति विचारण न्यायालय द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का जो आदेश पारित किया है, वह न्यायसंगत प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–03–2003 से पूर्णतया सहमत हैं एवं उसमें निगरानी के माध्यम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 10497 / 2003 / जयपुर** **मंगलाराम बनाम रामजीलाल पुत्र काना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2003 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य